

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र. सं.	फर्द अहकाम	विवरण
24/15	तारीख रज्ज 4.5.15	<p>उगवान - पक्षी तस्वीर बनाम हरकाम वेंके मजी इ. इ. इ.</p> <p>दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा</p> <p>वादी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा से मे दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जीरे एग्मन से तलब कर दिनांक 18.5.15 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)</p>
21/15		<p>पत्रावली जनरल पेशी से पेश हुई। प्राथमिकी उप उप प्राथमिकी से 10 तक की नामिल हो चुकी है। 11, 12, 13, 14 की नामिल चस्यामगी द्वारा की जायी। 15 की नामिल हो चुकी है। और साफल की ओर से श्री सुरेश चन्द्र शर्मा से ने 1.6.79 की और से भीमे पेश किया। वकालतनामा पेश करने के लिए समय चाहा। आइन्दा दिनांक 17.8.15 को पेश है।</p>
17.8.15	अपकाश	<p>पुनराप उपरिभर। पठसदप पुनाव कापी से व्यार है। वरगभुमा दिनांक 14.9.15 को पेश है।</p>

811-825
4.5.15

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
26-3-18	वकुलाय उप/गतनुसार डिग्री 17-4-18 के पेश हो।
17-4-18	वकुलाय उप/गतनुसार राजस्व लोक अदालत बैम्प सिधार्नेया में फिरोक 10-5-18 को पेश हो।
10-5-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके हाथ बैम्प सिधार्नेया में प्रस्तुत हुई। वादिवा एवं वादिवा के वकील उपस्थित नहीं। शिष्टि से सहायक कार्रगारी भेजकर वादिवा को बुलवाया गया किन्तु उसने उपस्थित होने से इनकार किया। अतः अदम हाजिरी एवं अदम पैरकीमे यह दावा खारिज किया जाता है पत्रावली फिलहाल शमार लोक नम्बर से कम लोक दाखिल दफ्तार हो।